

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.


मि०न०:-143/2025

रामरतन पुत्रगण रामरख जाति विश्नोई निवासी शेरका तहसील टिब्बी जिला
विनोद कुमार हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1 इन्द्रा देवी पुत्री रामरख पत्नी देशराज जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं० 04, 9 वी. एच. डी.
उदाणा लक्ष्मीनारायणसर, ककवाला, वीकानेर, (काकडवाला) तहसील लूणकरणसर जिला
बीकानेर।



प्रतिवादीया

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री रामस्वरूप भादू व प्रतिवादी वकील रायसिंह भाखर अंतिम निपटारे/निर्णय
हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित
होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि
चकनं० 25 एनजीसी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 77/75 के प०न०
180/270 मु० 28 किलानं० 22/0.2530 है० नाली द्वितीय, प०न० 180/271 मु० 29 किलानं०
2/1/0.2280 नाली द्वितीय, 2/2/0.0250 है० गै०मु० रास्ता कुल 0.506 है० नाली द्वितीय
मय गै०मु० रास्ता की आराजी का वादी सं० 1 रामरतन तथा चकनं० 18 जीजीआर के
जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 202/104 के प०न० 175/284 मु० 1 किलानं०
25/2/0.0510 है० नहरी, प०न० 176 /284 मु० 2 किलानं० 21/0.202 है० नहरी कुल 0.
253 है० आराजी नहरी का वादी सं० 2 विनोद कुमार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार
रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 25 एनजीसी के खाता सं० 77/75 व चक नं० 18 जीजीआर
के खाता सं० 202/104 में से प्रतिवादीया इन्द्रा देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक
रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन
करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 27/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर टिब्बी।